भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

37,400-67,000/- रूपये (ग्रेड वेतन 10,000/-रूपये) के वेतनमान में सचिव, ऑरोविले फाउंडेशन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इस पद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे और तीन वर्षो तक अथवा 65 वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है। खुले बाजार से आउटसोर्स किए गए और/अथवा संविदा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के लिए आयु सीमा 62 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति/अन्यत्र सेवा हेतु आयु सीमा 56 वर्ष होगी। आयु का आकलन करने की तारीख अधिसूचित किए गए अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

सेवा का ब्यौराः

सचिव, ऑरोविले फाउंडेशन का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है तथा ऑरोविले फाउंडेशन के शासी बोर्ड के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है।

पात्रता की शर्तें

1. केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के तहत सेवाओं के वे अधिकारी जिन्होंने अपने मूल काडर/विभाग में केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव के समकक्ष पद पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए नियमित आधार पर सेवा की हो।

2. ऑरोविले फाउंडेशन की स्थापना में कार्यरत वे अधिकारी जिन्होंने केन्द्र सरकार में निदेशक/उप सचिव के समकक्ष पद पर कम से कम 8 वर्षों की अवधि के लिए नियमित सेवा की हो।

3. केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, केन्द्र सरकार द्वारा "सम विश्वविद्यालयों" के रूप में घोषित संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सदृश पदों पर कार्यरत वे व्यक्ति जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों की अवधि की नियमित सेवा की हो।

4. सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति अथवा (1) केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सेवाओं से तथा (2) विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्मानपूर्वक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त व्यक्ति।

5. उपर्युक्त पैरा के उप-पैरा (1) में उल्लिखित संस्थाओं के अतिरिक्त उच्चतर अध्ययन, अनुसंधान तथा/अथवा प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति।

6. रीडर अथवा समकक्ष पद पर वित्तीय प्रशासन सहित प्रशासन में 10 वर्षों का कार्य अनुभव अथवा 10 वर्षों का अध्यापन तथा /अथवा अनुसंधान एवं प्रशासनिक अनुभव।

और अधिक विवरण हेतु बेवसाइट www.education.nic.in पर लाग आन करें।

इच्छुक उम्मीद्वार उप सचिव (आई.सी.सी.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, कमरा संख्या 211-सी विंग, दूसरा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 को आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 1 अगस्त, 2011 है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(यूनेस्को एकक)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2011

सा.का.नि. 102.—ऑरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 की सं. 54) की धारा 15(2) के साथ पठित धारा 31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय ऑरोविले प्रतिष्ठान में सचिव के पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने की बाबत निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत् :—

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को सचिव, ऑरोविले प्रतिष्ठान के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाए ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इन्हें प्रकाशित किए जाने की तिथि से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और इनसे संबंधित वेतनमान इसमें संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट अनुरूप होंगे ।

3. (क) भर्ती की विधि, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.—इस पद से संबंधित भर्ती विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट अनुरूप होंगे ।

3. (ख) खोज एवं चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर भर्तियां की जाएंगी जो इस प्रकार हैं.—

सचिव (उच्चतर शिक्षा)	—अध्यक्ष
अपर सचिव व वित्त सलाहकार, उच्चतर शिक्षा विभाग	—सदस्य
अपर सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	—सदस्य
संयुक्त सचिव (आईसीसी)	—सदस्य

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो; अथवा

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह का करार किया;

वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्र सरकार, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे किसी व्यक्ति तथा विवाह में शामिल अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत यह अनुमत्य है एवं ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं, उस व्यक्ति को इस नियम के दायरे से बाहर रख सकती है ।

5. छूट देने का अधिकार.—जहां केन्द्र सरकार का यह अभिमत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वह किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में लिखित में प्रलेखित किए जाने वाले कारणों से आदेश के जरिए छूट दे सकती है ।

अनुसूची

सचिव ऑरोविले प्रतिष्ठान के पद के लिए भर्ती नियमावली

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या यह पद चयन पद है या गैर-चयन पद है	क्या सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के के नियम 30 के तहत अतिरिक्त वर्षों की सेवा का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव	1 (एक)	लागू नहीं	पे बैंड-4, रु. 37400—67000 +ग्रेड पे रु. 10000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्तियों हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्ति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन के आधार पर हो तो किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन होना चाहिए
(11)	(12)
केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित प्रदेश के तहत सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा ऑरोविले प्रतिष्ठान के अधिकारियों के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा अथवा विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों या उच्चतर शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की अन्यत्र सेवा अवधि अथवा खुले बाजार से संविदा आधार पर आउट सोर्सिंग द्वारा अथवा इन दोनों अथवा सभी भर्ती पद्धतियों का उपयोग करते हुए, जैसा भी समय-समय पर केन्द्र सरकार निर्णय ले;	**भर्ती की पद्धतियां :** **भर्ती के समग्र तौर-तरीके :** **1. प्रतिनियुक्ति** केन्द्र सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष केन्द्र, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की हो; **2. पदोन्नति** केन्द्र सरकार के निदेशक/उप सचिव के समकक्ष ऑरोविले प्रतिष्ठान के संस्था में सेवारत अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा की हो; **3. अन्यत्र सेवा में** केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों; केन्द्र सरकार द्वारा "सम-विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में मान्यताप्राप्त संस्थाओं में सदृश पदों पर सेवारत जिन्होंने नियमित आधार पर 3 वर्ष सेवा की हो; **4. संविदा के आधार पर** (क) सेवा निवृत्ति के लिए निर्धारित आयु प्राप्त करने पर अथवा सम्मानपूर्वक स्वैच्छिक आधार पर अधिवर्षिता लेने वाले (1) संघ, राज्यों और संघ शासित

(12)

प्रदेशों तथा (2) विश्वविद्यालयों, सम-विश्वविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, के व्यक्ति; तथा

(ख) ऊपर के उप-पैरा (क) में उल्लिखित संस्थाओं के अलावा, उच्च अध्ययन, अनुसंधान तथा/अथवा प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति ।

अर्हताएं :

1. अनिवार्य

वित्तीय प्रशासन सहित प्रशासन का न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय या किसी अनुमोदित उच्चतर अध्ययन और/या प्रशिक्षण संस्था में रीडर या समतुल्य पद के रूप में 10 वर्ष का शिक्षण और/या अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव ।

2. वांछनीय

आजीवन शिक्षा एवं मानव एकता के आदर्शों में अच्छी समझ-बूझ और आस्था रखता हो ।

कार्यकाल

1. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य समान पद पर की गई प्रतिनियुक्ति को मिलाकर सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो अगले तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ।

2. पदोन्नति के आधार पर हुई नियुक्ति के मामले में कार्यकाल अधिवर्षिता की निर्धारित तिथि के साथ समाप्त होगा ।

3. अन्यत्र सेवा में किसी अधिकारी के मामले में कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा, जो अगले 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ।

4. संविदा के आधार पर खुले बाजार से आउटसोर्स किए गए व्यक्ति के मामले में कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा, जो अगले 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ।

आयु सीमा

1. प्रतिनियुक्ति पर अथवा अन्यत्र सेवा में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष होगी : तथा

2. खुले बाजार से आउटसोर्सिंग से और अथवा संविदा आधार पर आने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा 62 वर्ष होगी ।

नोट : प्रत्येक मामले में, अभ्यर्थी की आयु के निर्धारण की तिथि, जैसा अधिसूचित है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति होती है, तो उसका गठन क्या होगा	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
(13)	(14)
लागू नहीं	लागू नहीं ।

[फा. सं. 27-14/2009-यूयू]

अमित खरे, संयुक्त सचिव